न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा

पीठासीन अधिकारी : संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 08/2021
दायर दिनांक : 22.02.2021
निर्णय दिनांक : 29.11.2022

उनवान

रामकिशन पुत्र महादेव जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी ग्राम भांकरी तहसील दौसा जिला दौसा
प्रार्थी

बनाम

धापा देवी पत्नी लल्लूलाल जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी ग्राम भांकरी तह0 व जिला दौसा
कमला देवी पत्नी बसन्ती लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भांकरी तह0 व जिला दौसा
नारंगी पत्नी घनश्याम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भांकरी तहसील, दौसा जिला दौसा।
मनभर देवी पत्नी रामजीलाल जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी भांकरी तह0 व जिला दौसा
रामोती देवी पत्नी हीरालाल जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी भांकरी तह0 व जिला दौसा
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दौसा
राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा भांकरी जरिये शाखा प्रबन्धक

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम–1956 बाबत दुरूस्ती इन्द्राज

प्रार्थी रामकिशन पुत्र महादेव ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम– 1956 बाबत दुरूस्ती इन्द्राज पेश किया है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है प्रार्थी ग्राम भांकरी तहसील दौसा जिला दौसा का रहने वाला है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 –खातेदार है। अप्रार्थी संख्या 6 राज्य सरकार का वैध प्रतिनिधि है। अप्रार्थी संख्या 7 राहिन है। ग्राम भांकरी तहसील, दौसा वर्तमान खाता संख्या 70 की भूमि आराजी खसरा नम्बर 266 बा 0.05 है0, खसरा नम्बर 284 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 285 रकबा 0.33 है0, कुल ता 3 कुल रकबा 0.79 है0 एवं खाता संख्या 69 की भूमि आराजी खसरा नम्बर 477 रकबा 0. है0, खसरा नम्बर 478 रकबा 0.62 है0, खसरा नम्बर 479 रकबा 0.17 है0 कुल किता 3 कुल 5 है0 स्थित है। जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी एवं अप्राथीगण संख्या 1 लगायत 5 नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि की राजस्व रिकार्ड जमाबंदी खातेदारी के रूप में रामकिशोर र महादेव जाति जांगिड़ ब्राह्मण हिस्सा 1/6 दर्ज है, जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति पूरे व में न तो कभी था, ना ही आज है। हाल खसरा नम्बर 266 का साबिक खसरा नम्बरा 79, ल खसरा नम्बर 284 का साबिक खसरा नम्बर 83/1, हाल खसरा नम्बर 285 का साबिक सरा नम्बर 83/2 एवं हाल ख0 नं0 477 का साबिक खसरा नम्बर 133/1/2/3/4 मिन,

लगातार ....2....

हाल खसरा नम्बर 478 का साबिक खसरा नम्बर 133/4, 5 मिन, हाल खसरा नम्बर 479 का साबिक ख0 नं0 133/6 सैटलमेन्ट से पूर्व नम्बरान् थे। जिसके साबिक रिकार्ड एकीकरण खतौनी सम्वत 2017 में महादेव वल्द गुल्ला कौम खाती साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड थे। खातेदार महादेव पुत्र गुल्ला के फोत होने पर उसके पांच लडकों बृजमोहन, राधामोहन, नन्दकिशोर, रामचन्द्र व रामकृष्ण के नाम विरासत का नामान्तरकरण संख्या 9 दिनांक 12.6.1964 को तस्दीक किया गया। जिसके पश्चात् जमाबंदी सम्वत 2021 से 2024 में विरासत के आधार पर खातेदारी बृजमोहन, राधामोहन, नन्दकिशोर, रामकिशोर, रामचन्द्र व रामकृष्ण के नाम दर्ज की गई। सेटेलमेन्ट विभाग द्वारा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामकिशोर पुत्र महादेव हिस्सा 1/6 का नाम गलत दर्ज कर दिया, जबकि रामकिशोर, मृतक महादेव का कोई पुत्र नहीं था और ना ही मृतक महादेव से रामकिशोर का कोई लेना देना व वास्ता था। सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियो, कर्मचारियों द्वारा सहवन से रामकिशोर पुत्र महादेव का नाम प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में गलत जोड़ दिया गया, जो हजफ किये जाने योग्य है। मृतक महादेव पुत्र गुल्ला के पांच ही पुत्र सन्तान थे, जो क्रमशः बृजमोहन, राधामोहन, नन्दकिशोर, रामचन्द्र व रामकिशन थे। इनके अलावा मृतक महादेव पुत्र गुल्ला का कोई वारिस नहीं था। उक्त जमाबंदी में खातेदार प्रार्थी रामकिशन का नाम भी रामकृष्ण गलत दर्ज कर रखा है। जिसको भी रामकृष्ण की जगह रामकिशन किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी के समस्त पहचान के दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम रामकिशन दर्ज है। सेटलमेन्ट विभाग को किसी भी खातेदार की भूमि में अन्य व्यक्ति का नाम जोड़े जाने या हटाये जाने का कानूनन कोई हक एवं अधिकार प्राप्त नहीं था। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम भांकरी तहसील, दौसा वर्तमान खाता संख्या 70 की भूमि आराजी खसरा नम्बर 266 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 284 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 285 रकबा 0.33 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.79 है0 एवं खाता संख्या 69 की भूमि आराजी खसरा नम्बर 477 रकबा 0.86 है0, खसरा नम्बर 478 रकबा 0.62 है0, खसरा नम्बर 479 रकबा 0.17 है0 कुल किता 3 कुल 1.65 है0 के समस्त राजस्व रिकार्ड में अंकित रामकिशोर पुत्र महादेव का नाम हजफ किया जाकर प्रार्थी के हिस्से में खातेदारी दर्ज की जावे व प्रार्थी का नाम रामकृष्ण पुत्र महादेव के स्थान पर रामकिशन पुत्र महादेव दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 तामील होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया गया, जिसे 200 रूपये की कोस्ट पर स्वीकार किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम भांकरी के राजस्व सीमा में खाता संख्या 70 की भूमि आराजी खसरा नम्बर 266 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 284 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 285 रकबा 0.33 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.79 है0 में से खातेदार रामचन्द्र पुत्र महादेव व बनवारी पुत्र राधामोहन ने अपने सम्पूर्ण हिस्से का बयान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के हक में दिनांक 7.6.2008 को कर दिया था। जिसके आधार पर मिन प्रतिवादी उक्त आराजी के बतौर रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है तथा खाता संख्या 69 की भूमि आराजी खसरा नम्बर 477 रकबा 0.86 है0, खसरा

लगातार ....3....

नम्बर 478 रकबा 0.62 है0, खसरा नम्बर 479 रकबा 0.17 है0 कुल किता 3 कुल 1.65 है0 के खातेदार रामचन्द्र बनवारी व सुरेश द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान दिनांक 28.3.2011 को कर दिया था, जिसके आधार पर मिन प्रतिवादी उक्त आराजी के बतौर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी द्वारा उक्त चरण में वर्णित तथ्य यद्यपि सही है कि रामकिशोर पुत्र महादेव नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, किन्तु यहॉ यह उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजी पूर्व खातेदार विक्रेता द्वारा उक्त चरण में कथित रामकिशोर पुत्र महादेव का हिस्सा जो उक्त विक्रेता पूर्व खातेदार को प्राप्त होगा, उसका बेचान ही उक्त विक्रेता पूर्व खातेदारान द्वारा मिन प्रतिवादीगण के हक में कर दिया गया था। चूॅकि तत्समय रामकिशोर पुत्र महादेव के नाम से जो हिस्सा जमाबंदी में दर्ज होने के कारण तत्समय उसकी रजिस्ट्री मिन अप्रार्थीगण के हक में नहीं हो सकी थी, जिसके कारण पूर्व खातेदारान् विक्रेता द्वारा पृथक से एक इकरारनामा व मुखत्यारआम मिन अप्रार्थीगण के हक में तहरीर तकमील कर रखा है। ऐसी दशा में मिन प्रतिवादी रामकिशोर पुत्र महादेव के हिस्से की आराजी पूर्व खातेदारान के हिस्से अनुसार प्राप्त करने के अधिकारी है। चूॅकि रामकिशोर पुत्र महादेव के हिस्से में जो भूमि दर्ज हुई है, वह पूर्व खातेदार महादेव वल्द गुल्ला के समस्त वारिसान के हक हिस्से में से दर्ज हुई है, ऐसी दशा में महादेव वल्द गुल्ला के समस्त वारिसान रामकिशोर पुत्र महादेव के हिस्से में दर्ज भूमि को प्राप्त करने के काननून अधिकारी है। ऐसी दशा में महादेव वल्द गुल्ला के समस्त वारिसान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है, जिसके अभाव में उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे। तहसीलदार, दौसा की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार मृतक महादेव पुत्र गुल्ला के जाईन्दा वारिसान पांच भांई बृजमोहन, राधामोहन, नन्दकिशोर, रामचन्द्र व रामकिशन है। रामकृष्ण पुत्र महादेव का नाम खाता संख्या 69 एवं 70 में दर्ज रिकार्ड है, जबकि मौका जॉच अनुसार वादी का नाम रामकिशन बताया गया है।

प्रकरण में उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में रामकिशोर पुत्र महादेव को वारिस नहीं होना स्वीकार किया है। तहसीलदार की रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख किया गया है। मृतक महादेव के चार पुत्रों का नाम जमाबंदी में अब दर्ज नहीं है, क्योंकि उन्होने अपनी सम्पूर्ण भूमि का बेचान कर दिया है। उनके हिस्से की शेष भूमि पर अप्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। विरासत का नामान्तरकरण सही तस्दीक हुआ है, नामान्तरकरण होने के पश्चात् जमाबंदी में गलत अमल हुआ है। अतः धारा 136 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना सही है। अप्रार्थीगण द्वारा जो इकरारनामा पेश किया है, उसकी कोई वैधता नही है। अतः रामकिशोर का नाम हजफ किया जाकर उसके हिस्से की भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज की जावे। अप्रार्थीगण की ओर से बहस के दौरान कथन किया कि महादेव के पॉच वारिस है। रामकिशोर के हिस्से में दर्ज की पूरी जमीन रामकिशन के हिस्से में दर्ज नहीं हो सकती है। उक्त दुरूस्ती हेतु अधिघोषणा का दावा लाना चाहिए। प्रकरण धारा 136 में चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम भांकरी की जमाबंदी सम्वत् 2072 के खाता संख्या नया 69 एवं 70 में रामकिशोर पुत्र महादेव हिस्सा 1/6 दर्ज रिकार्ड है। खातेदार महादेव पुत्र गुल्ला की मृत्यु होने पर विरासत का नामा0करण संख्या 9 दिनांक 12.6.1964 को बृजमोहन,

लगातार ....4....

राधामोहन, नन्दकिशोर, रामचन्द्र व रामकृष्ण के नाम तस्दीक किया गया। जमावंदी सम्वत 2021 लगायत 2024 में उक्त पांचों व्यक्तियों के अलावा रामकिशोर का नाम भी खाते में दर्ज किया गया। प्रार्थी का कथन है कि रामकिशोर पुत्र महादेव नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, जो हजफ किये जाने योग्य है। प्रार्थी के कथन की पुष्टि अप्रार्थीगण ने भी की है। तहसीलदार, दौसा की रिपोर्ट के अनुसार भी मृतक महादेव पुत्र गुल्ला के वारिसान बृजमोहन, राधामोहन, नन्दकिशोर, रामचन्द्र व रामकिशन है।अतः प्रश्नगत खातों में रामकिशोर पुत्र महादेव हिस्सा 1/6 गलत रूप से दर्ज किया जाना प्रार्थी, अप्रार्थीगण के कथन एवं तहसीलदार की रिपोर्ट से सावित है। जिसका नाम उक्त खातों से हजफ किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः ग्राम भांकरी की जमाबंदी सम्वत् 2072 के खाता संख्या नया 69 एवं 70 में अंकित रामकिशोर पुत्र महादेव हिस्सा 1/6 का नाम हजफ किया जाता है तथा तहसीलदार दौसा को आदेशित किया जाता है कि रामकिशोर पुत्र महादेव के नाम दर्ज भूमि हिस्सा 1/6 को नामान्तरकरण संख्या 9 दिनांक 12.6.1964 के अनुसार मृतक महादेव पुत्र गुल्ला के वारिसान के नाम दर्ज कर दुरूस्त किया जावे।

उक्त जमाबंदी में प्रार्थी रामकिशन ने उसका नाम रामकृष्ण गलत दर्ज होना अवगत कराया है, जबकि प्रार्थी के समस्त पहचान के दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम रामकिशन दर्ज है। अतः रामकृष्ण की जगह रामकिशन करने का अनुरोध किया गया है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार रामकृष्ण पुत्र महादेव का नाम खाता संख्या 69 एवं 70 में दर्ज रिकार्ड है, जबकि मौका जॉच अनुसार वादी का नाम रामकिशन बताया गया है। रामकृष्ण के बजाय रामकिशन दुरूस्त करने में अप्रार्थीगण की ओर से कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। अतः ग्राम भांकरी की जमाबंदी सम्वत् 2072 के खाता संख्या नया 69 एवं 70 में अंकित प्रार्थी का नाम रामकृष्ण की जगह रामकिशन किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार दौसा को आदेश दिये जाते है कि ग्राम भांकरी की जमाबंदी सम्वत् 2072 के खाता संख्या नया 69 एवं 70 में अंकित प्रार्थी का नाम रामकृष्ण की जगह रामकिशन दर्ज किया जावे। तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
दौसा (राज.)